



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122025-268686
CG-DL-E-20122025-268686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28, 1947

No. 817]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

फा. सं. बीएस/11/04/2018.—यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारी समिति के अनुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 के विनियम 3 और 9 के साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की "धारा 39 के साथ पठित धारा 5" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 सितंबर 2023 को अधिसूचित सलाहकार समितियों, जो ए, सी, डी, ई, एफ और जी के रूप में संदर्भित हैं, के लिए संरचना को समान रखते हुए, एतद्वारा, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो साल की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को सलाहकार समितियों के सदस्यों के रूप में पुनः नियुक्त करती है, अर्थात्: - "

वित्त सलाहकार समिति

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के विशेष सचिव या अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार – अध्यक्ष;
- ब्यूरो के महानिदेशक;
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव या संयुक्त सचिव;

- (iv) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद का एक प्रतिनिधि;
- (v) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय का एक प्रतिनिधि;
- (vi) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मुख्य वित्तीय अधिकारी;
- (vii) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;
- (viii) ब्यूरो के उपमहानिदेशक (वित्त) – सदस्य-सचिव।

मानक सलाहकार समिति

- (i) ब्यूरो के महानिदेशक –अध्यक्ष;
- (ii) निम्नलिखित प्रत्येक संस्थान से कम से कम संयुक्त सचिव या समकक्ष पद का एक प्रतिनिधि-
 - (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय;
 - (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय;
 - (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय;
 - (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय;
 - (ङ) सेवा क्षेत्र संगठन (पर्यटन या शिक्षा या रेलवे या परिवहन);
 - (च) अन्य मानक विकास संगठन (मानकीकरण निदेशालय, रक्षा मंत्रालय या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या इंडियन रोड कांग्रेस या अनुसंधान डिज़ाइन एवं मानक संगठन, रेलवे मंत्रालय);
 - (छ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो;
 - (ज) भारतीय गुणवत्ता परिषद;
 - (झ) शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान;
 - (ण) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय;
- (iii) उद्योग, व्यापार एवं उनके संघों से एक प्रतिनिधि;
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन से एक प्रतिनिधि;
- (v) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;
- (vi) ब्यूरो के उपमहानिदेशक (मानकीकरण) – सदस्य-सचिव।

परीक्षण एवं अंशांकन सलाहकार समिति

- (i) ब्यूरो के महानिदेशक – अध्यक्ष;
- (ii) निम्नलिखित से कम से कम संयुक्त सचिव या समकक्ष पद का एक प्रतिनिधि –
 - (क) नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी;
 - (ख) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर;
 - (ग) किसी एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की प्रयोगशाला;
 - (घ) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम;
 - (ङ) भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ;
 - (च) गुणवत्ता आश्वासन के महानिदेशक;
 - (छ) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला;
 - (ज) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय;
 - (झ) परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल);

- (ण) वाणिज्य विभाग (डीओसी);
 - (ट) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी);
 - (ठ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी);
 - (ड) उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई);
 - (ढ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय;
 - (ण) वस्त्र मंत्रालय;
 - (त) भारी उद्योग विभाग (डीएचआई);
 - (थ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर);
 - (द) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ);
 - (ध) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी);
 - (न) निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी);
 - (प) केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी);
 - (फ) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई)।
- (iii) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली किसी निजी प्रयोगशाला से एक प्रतिनिधि;
- (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;
- (v) ब्यूरो के उपमहानिदेशक (प्रयोगशालाएं) – सदस्य-सचिव।

उपभोक्ता मामले सलाहकार समिति

- (i) ब्यूरो के महानिदेशक – अध्यक्ष;
- (ii) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव या संयुक्त सचिव;
- (iii) किसी भी तीन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभागों के सचिव या प्रधान सचिव, *रोटेशन के आधार पर*;
- (iv) मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों से तीन प्रतिनिधि;
- (v) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) से एक प्रतिनिधि;
- (vi) कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) से एक प्रतिनिधि;
- (vii) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;
- (viii) ब्यूरो में उपभोक्ता मामलों से संबंधित कार्य देख रहे उपमहानिदेशक – सदस्य-सचिव।

अनुसंधान सलाहकार समिति

- (i) ब्यूरो के महानिदेशक – अध्यक्ष;
- (ii) निम्नलिखित से कम से कम संयुक्त सचिव या समकक्ष पद का एक प्रतिनिधि:
 - (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नई दिल्ली;
 - (ख) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी;
 - (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की;
 - (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली;
 - (ङ) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर;
 - (च) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे;

- (छ) द एनर्जी रिसोर्स इंस्टिट्यूट (टीईआरआई), नई दिल्ली;
- (ज) टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, मुंबई;
- (झ) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली;
- (ण) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली;
- (ट) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद या भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ;

(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;

(iv) ब्यूरो के वैज्ञानिक एफ या वैज्ञानिक जी (उपमहानिदेशक - नीति, अनुसंधान और प्रशिक्षण) – सदस्य-सचिव।

प्रशिक्षण सलाहकार समिति

(i) ब्यूरो के महानिदेशक – अध्यक्ष;

(ii) निम्नलिखित से कम से कम संयुक्त सचिव या समकक्ष पद का एक प्रतिनिधि:

- (क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी;
- (ख) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली;
- (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), नई दिल्ली;
- (घ) राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई), विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली;
- (ङ) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद;
- (च) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ (नोएडा परिसर);
- (छ) प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुरुग्राम;
- (ज) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्यू), नई दिल्ली;
- (झ) प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद;

(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य;

(iv) ब्यूरो के वैज्ञानिक 'एफ' या वैज्ञानिक 'जी' (उपमहानिदेशक - नीति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) – सदस्य-सचिव।

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./553/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

F. No. BS/11/04/2018.—In exercise of the powers conferred by “Section 5 read with Section 39” of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), read with regulations 3 and 9 of Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 2018, the Bureau, with the approval of the Executive Committee of BIS, keeping the composition same for Advisory Committees referred to as A, C, D, E, F and G, as was notified on 13 September 2023, hereby, reappoints the following persons as members of the Advisory Committees for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Finance Advisory Committee

- (i) Special Secretary or Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - Chairman;
- (ii) Director General of the Bureau;
- (iii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;
- (iv) one representative of the National Institute of Financial Management, Faridabad;

- (v) one representative of the Office of Comptroller General of Accounts;
- (vi) Chief Financial Officer of Bureau of Energy Efficiency;
- (vii) any other member, as nominated by the Chairman;
- (viii) Deputy Director General (Finance) of the Bureau - Member-Secretary.

Standards Advisory Committee

- (i) Director General of the Bureau - Chairman;
- (ii) one representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following—
 - (a) Ministry of Commerce and Industry;
 - (b) Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
 - (c) Ministry of New and Renewable Energy;
 - (d) Ministry of Housing and Urban Affairs;
 - (e) Service Sector Organisation (Tourism or Education or Railways or Transport);
 - (f) other Standard Development Organisations (Directorate of Standardisation, Ministry of Defence or Automotive Research Association of India or Indian Road Congress or Research Designs and Standards Organisation, Ministry of Railways) ;
 - (g) Bureau of Energy Efficiency;
 - (h) Quality Council of India;
 - (i) Institute of repute in the field of academics;
 - (j) Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;
- (iii) one representative from Industry, Trade and their Associations;
- (iv) one representative from any recognised consumer organisation;
- (v) any other member as nominated by the Chairman;
- (vi) Deputy Director General (Standardisation) of the Bureau - Member-Secretary

Testing and Calibration Advisory Committee

- (i) Director General of the Bureau - Chairman;
- (ii) one representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following –
 - (a) National Physical Laboratory;
 - (b) Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore;
 - (c) Laboratory of any one of the Indian Institute of Technology;
 - (d) National Institute of Solar Energy, Gurgaon;
 - (e) Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow;
 - (f) Director General of Quality Assurance;
 - (g) National Chemical Laboratory;
 - (h) Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;
 - (i) National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);
 - (j) Department of Commerce (DoC)
 - (k) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT);
 - (l) Department of Science and Technology (DST);
 - (m) Department of Higher Education (DHE);
 - (n) Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises;
 - (o) Ministry of Textiles;
 - (p) Department of Heavy Industries (DHI);

- (q) Department of Scientific and Industrial Research (DSIR);
- (r) Defence Research and Development Organisation (DRDO);
- (s) Directorate General of Foreign Trade (DGFT);
- (t) Export Inspection Council (EIC);
- (u) Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET);
- (v) Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).

(iii) one representative from a private lab of national or international repute;

(iv) any other member as nominated by the Chairman;

(v) Deputy Director General (Laboratories) of the Bureau - Member-Secretary

Consumer Affairs Advisory Committee

- (i) Director General of the Bureau - Chairman;
- (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution;
- (iii) Secretaries or Principal Secretaries of the Department having administrative control over Consumer Affairs of any three States or Union territories on rotational basis;
- (iv) three representatives from recognised consumer organisations;
- (v) one representative from Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry;
- (vi) one representative from Confederation of Indian Industry;
- (vii) any other member as nominated by Chairman;
- (viii) Deputy Director General of the Bureau dealing with the Consumer Affairs activity -Member-Secretary.

Research Advisory Committee

- (i) Director General of the Bureau – Chairman;
- (ii) One representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following:
 - (a) Department of Science & Technology (DST), New Delhi;
 - (b) Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani;
 - (c) Indian Institute of Technology, Roorkee;
 - (d) Indian Agricultural Research Institute, New Delhi;
 - (e) Central Food Technological Research Institute, Mysore;
 - (f) Automotive Research Association of India, Pune;
 - (g) The Energy Resource Institute (TERI), New Delhi;
 - (h) Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai;
 - (i) Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi;
 - (j) Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi;
 - (k) Indian Institute of Management, Ahmedabad or Indian Institute of Management, Lucknow;
- (iii) Any other member as nominated by Chairman;
- (iv) Scientist F or Scientist G (Deputy Director General - Policy, Research & Training) of the Bureau – Member-Secretary.

Training Advisory Committee

- (i) Director General of the Bureau – Chairman;
- (ii) One representative not below the rank of Joint Secretary or equivalent from each of the following:
 - (a) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie;
 - (b) The Institute of Secretariat Training & Management (ISTM), New Delhi;

- (c) National Skill Development Corporation(NSDC), New Delhi;
- (d) National Power Training Institute(NPTI), Ministry of Power, New Delhi;
- (e) National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics, Faridabad;
- (f) Indian Institute of Management (IIM), Lucknow (Noida Campus)
- (g) Management Development Institute (MDI), Gurgaon
- (h) Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi;
- (i) Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad;
- (iii) Any other member as nominated by Chairman;
- (iv) Scientist F or Scientist G (Deputy Director General - Policy, Research & Training) of the Bureau – Member-Secretary

ALKA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Ext.y./553/2025-26]